न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 3/2021 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री बाबू लाल पुत्र श्री कजोड मल गुप्ता
   एफबीओ मैसर्सः— रवि मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार,
   रामगढ पचवारा जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

—: आदेश :—

दिनांकः— 12.01.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 08.11.2020 को दोपहर बाद 03:00 बजे मैसर्स— रवि मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार, रामगढ पचवारा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर विक्रेता श्री बाबूलाल पुत्र श्री कजोडमल गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 30 लोहे की ट्रे में करीबन 120 किग्रा बर्फी (मावा मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर एक लोहे की ट्रे जिसमे करीबन 4 किग्रा बर्फी (मावा मिठाई) थी, में से नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा बर्फी (मावा मिठाई) खरीदी। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बे में तोलकर दी। जिसकी कीमत 560 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 बर्फी (मावा मिठाई) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों डालकर प्रत्येक बोतल में 40—40 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.– 2503 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.11.2020 को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.11.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.11.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) के नमूने की खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1956/एक्ट/2020/432 दिनांक 11.11.2020 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य प्रयोगशाला, जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1956/एक्ट/2020/432 दिनांक 11.11.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) के नमूने जांच के दौरान बी. आर. रीडिंग 43.9 प्राप्त हुई है जो कि 40.0 से 43.0 के बीच होनी चाहिए थी। बी. आर. रीडिंग तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन कर सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय कियां है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ बर्फी मिठाई का नमूना अमानक स्तर का पाया गया है इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि बर्फी को ट्रे में डालने से पूर्व ट्रे में रिफाईन्ड लगाया जाता है, ताकि बर्फी मिठाई ट्रे में चिपके नहीं जिसके कारण की बी. आर. रीडिंग ज्यादा पाई गई है। हमारी ओर से बर्फी में कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण मे कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 03/2021 FSSA

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /1956/एक्ट/2020/432 दिनांक 11.11.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री बाबूलाल पुत्र श्री कजोडमल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– रवि मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार रामगढ पचवारा जिला दौसा पर 10000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.1.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः– 12.1.2022

क्रमांक/FSSA/26-28

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री बाबूलाल पुत्र श्री कजोडमल गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– रवि मिष्ठान भण्डार, मैन बाजार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official